युवाओं का भविष्य बर्बाद नहीं होने देंगे : मितेंद्र

मुरार में निकला मशाल जुलूस

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 04 जुलाई । भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रव्यापी छात्रों की गूंज अभियान के अंतर्गत आज ग्वालियर में जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष विजय यादव के नेतृत्व में मुरार बारादरी चौराहे से अग्रसेन चौराहे तक नीट एवं सीबीएसई परीक्षा घोटालों, शिक्षा व्यवस्था की अनियमितताओं तथा छात्रों के भविष्य के साथ हो रहे अन्याय के विरोध में मशाल जुलूस निकाला गया।

मशाल जुलूस को संबोधित करते हुए भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव मितेंद्र दर्शन सिंह यादव ने कहा कि दिल्ली में बैठे शहंशाह देश के युवाओं और छात्रों का भविष्य बर्बाद नहीं कर सकते। शिक्षा व्यवस्था में लगातार हो रही अनियमितताओं और परीक्षा घोटालों के खिलाफ अब देश का युवा अपनी आवाज बुलंद करने के लिए तैयार है। ग्वालियर युवा कांग्रेस छात्रों के अधिकारों की इस लड़ाई को हर स्तर पर मजबूती से लड़ेगी।'

जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुरेंद्र यादव ने अपने संबोधन में कहा ग्वालियर युवा कांग्रेस छात्रों की लड़ाई को पूरी ताकत से लड़ेगी जब तक छात्रों को न्याय नहीं मिलेगा

इस अवसर पर विकास उपाध्याय, अश्विनी अगरैया, महादेव आपौरिया, भूपेंद्र तोमर, मानवेंद्र सिंह तोमर, पारस यादव, रंजीत यादव, मुकेश गुर्जर, लोकू गुर्जर सहित बड़ी संख्या में युवा कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष विजय दिवाकर, मयंक शिवहरे, शाहरुख खान, ब्लॉक अध्यक्ष रोहित यादव, भूपेंद्र बघेल, ओम गोदिया, सुनील पाल, उत्कर्ष शर्मा, कोमल अजीत भदौरिया, शिवम करैया, आर्यन तिवारी, अभिषेक कांदिल,सहित बड़ी संख्या में युवा एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे।

साइबर जागरूकता मैराथन मे हजारों ने लिया भाग

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 04 जुलाई । मध्यप्रदेश पुलिस के प्रदेशव्यापी 'सेफ क्लिक 2.0' अभियान के तहत आज जिला खेल परिसर, कंपू से एक विशाल साइबर जागरूकता मैराथन का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ मुख्य अतिथि आईजी ग्वालियर रेंज अरविंद सक्सेना, एसएसपी ग्वालियर धर्मवीर सिंह और एएसपी सुजावल सिंह जग्गा ने हरी झंडी दिखाकर किया। कार्यक्रम में यातायात डीएसपी अजीत सिंह चौहान सहित रोटरी क्लब और भारत विकास परिषद के पदाधिकारी मौजूद रहे। आईजी सक्सेना ने जागरूकता को साइबर अपराध से बचाव का सबसे बड़ा हथियार बताया। करीब 4 किमी की इस मैराथन के विजेताओं को नकद पुरस्कार दिए गए और रोटरी क्लब की ओर से प्रथम 500 प्रतिभागियों को टी-शर्ट वितरित की गईं।

CHANGE OF NAME

I, Army No. 15160291W Rank Hav Name Mohammad Rajjab of Unit 12 Fd REGT C/O 56 APO Residence at 375/1, Ward No. 15 (Barhi) Post- Barhi, Tehsil- Barhi, Khanna Banjari, Katni (MP) -483770 have changed my daughter name from **NURI GOSEEYA FATHIMA** to **GAUSHIYA FATIMA NOORI** Vide Affidavit No. CC 131705 & Date 03.07.2026 before District Court Gwalior (M.P.)

CHANGE OF NAME & DOB

I, SAISWATHI SONAYILA Wife of Army No. 14682683W HAV TECH CMPTR Govinda Rao Sonayila 238 FD WKSP Coy (636 EME BN RAPID) presently residing at Village & Post - Urlam, Teh.- Narasanna peta, Distt.- Srikakulam, State - Andhra Pradesh 532425 (Address) inform that I have changed my name and date of birth from SAISWATHI SONAYILA (21 Jan. 1996) to SAI SWATHI SONAYILA (DOB: 21 Jun. 1998) vide Affidavit no. BX 607987 & BX 607988 Dated- 01-07-2026, GWALIOR

CHANGE OF NAME

I, MOHAMMAD NAJUL Son of Army No. 15160291W Rank Hav Name- Mohammad Rajjab of Unit 12 Fd REGT C/O 56 APO residence at 375/1, Ward No. 15 (Barhi) Post- Barhi, Tehsil- Barhi, Khanna Banjari, Katni (MP) 483770 have changed my name from **MOHAMMAD NAJUL** to **MOHAMMAD SHARAF RAZA** Vide Affidavit No. CC 131704 & Date 03.07.2026 before District Court Gwalior (M.P.)

CHANGE OF NAME

I, **Prakshit is legally son of No.- 15177220L Rank- HAV (DMT) Jaikaran** presently residing at Village- DhaniKumharan, Post- DhaniKumharan Tehsil- Taranagar, District- Churu, State-Rajasthan, Pin- 331304 have changed my name from **Praxit** to **Prakshit** **vide affidavit No BX 603898 Dated 03/07/2026 before High Court, Gwalior (M.P.)**

CHANGE OF NAME

I, KARE MADHUKAR BAJIRAO father of KARE ROHIT MADHUKAR, Presently residing at A/P- Kalambi, Teh-khatav, Dist- Satara, State Maharashtra, Pin- 415512, have changed my name from **KARE MADHUKAR BAJIRAO** to **MADHUKAR BAJIRAO KARE** Vide Affidavit No. CC 135390 & Date 02.07.2026 before District Court Gwalior (M.P.)

CHANGE OF NAME

मैं अंशिका सिंह (ANSHIKA SINGH) पुत्र श्री प्रहलाद सिंह भदोरिया (PRAHLAD SINGH BHADORIYA) जन्मतिथि : 29/09/2007 पता- : E2/52, हनुमान नगर, गोले का मंदिर, जिला ग्वालियर (म.प्र.) 474006, सूचित करती हूँ कि- मुझ शपथकर्ता ने वर्ष 2025 में कक्षा 10वीं की परीक्षा CBSE से उत्तीर्ण की है जिसकी अंकसूची में मेरा नाम ANSHIKA BHADOURIYA एवं पिता का नाम PRAHLAD SINGH BHAOURIYA त्रुटिवश दर्ज है मेरे आधार कार्ड व जन्म प्रमाण पत्र में मेरा नाम ANSHIKA SINGH एवं मेरे पिता का नाम PRAHLAD SINGH BHADORIYA दर्ज है जो कि सत्य व सही है।

CHANGE OF NAME

I, SHARADA mother of KARE ROHIT MADHUKAR, Presently residing at A/P- Kalambi, Teh-khatav, Dist- Satara, State Maharashtra, Pin-415512, have changed my name from **SHARADA** to **SHARADADEVI MADHUKAR KARE** Vide Affidavit No. CC 131673 & Date 02.07.2026 before District Court Gwalior (M.P.)

नाम परिवर्तन सूचना

मैं **Army Service No. 2705268A Rank- HAV Name- SHIVNANDAN SINGH** निवासी- ग्राम- रामगढ़, घोसीपुरा, विवेक विहार कॉलोनी, पोस्ट- शब्द प्रताप आश्रम, तहसील- ग्वालियर, जिला- ग्वालियर म.प्र. पिन- 474012 सूचित करता हूँ कि मेरे आर्मी सर्विस रिकार्ड में मेरे पिताजी का नाम **BISHAMBHAR SINGH** अंकित हो गया है जबकि मेरे पिताजी के आधार कार्ड नं. 3103 3045 7642 एवं अन्य दस्तावेजों में नाम VISHAMBHAR SINGH अंकित है जो कि सत्य व सही है. अतः मेरे आर्मी सर्विस रिकॉर्ड में मेरे पिताजी का नाम **BISHAMBHAR SINGH** के स्थान पर **VISHAMBHAR SINGH** अंकित करवाना है। सत्यापित ऐफिडेविट नं. 78AA 285757 दिनांक 08/06/2026.

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना भवन स्वामी द्वारा जारी

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अन्तर्गत मेरी सम्पति क्षेत्र क्रमांक 18 वार्ड क्रमांक 49 स्थान समाधिया कॉलोनी में स्थित है जो कि रेनू तिवारी/योगेश तिवारी आदि के नाम से नगर निगम में आईडी क्रमांक 9000255514 पर दर्ज है/नहीं है जिसका क्षेत्रफल 550 वर्गफुट है. उक्त सम्पति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र आर-15042600655334 दिनांक 26/4/2026 से प्राप्त किया गया है. उक्त सम्पति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 के अन्तर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पतिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र गोरखी पानी की टंकी पर दिनांक 25/06/2026 को किया गया है. जिसका आवेदन कार्य क्रमांक 83/2010/18917/41216 है। उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर स्थित सम्पतिकर विभाग कक्ष क्र. 205, 202 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति में सुसंलग्न दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

विज्ञप्ति जारी दिनांक 04-7-2026
राधिका अग्रवाल/राजीव अग्रवाल
पता: समाधिया कॉलोनी, ग्वालियर म.प्र.
मोब - 9754762683

नाम परिवर्तन सूचना

मैं **Army Service No. 2705268A Rank- HAV Name- SHIVNANDAN SINGH** निवासी- ग्राम- रामगढ़, घोसीपुरा, विवेक विहार कॉलोनी, पोस्ट- शब्द प्रताप आश्रम, तहसील- ग्वालियर, जिला- ग्वालियर म.प्र. पिन- 474012 सूचित करता हूँ कि मेरे आर्मी सर्विस रिकार्ड में मेरे पिताजी का नाम **BISHAMBHAR SINGH** अंकित हो गया है जबकि मेरे पिताजी के आधार कार्ड नं. 3103 3045 7642 एवं अन्य दस्तावेजों में नाम VISHAMBHAR SINGH अंकित है जो कि सत्य व सही है. अतः मेरे आर्मी सर्विस रिकॉर्ड में मेरे पिताजी का नाम **BISHAMBHAR SINGH** के स्थान पर **VISHAMBHAR SINGH** अंकित करवाना है। सत्यापित ऐफिडेविट नं. 78AA 285757 दिनांक 08/06/2026.

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना भवन स्वामी द्वारा जारी

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अन्तर्गत मेरी सम्पति क्षेत्र क्रमांक 18 वार्ड क्रमांक 49 स्थान समाधिया कॉलोनी में स्थित है जो कि रेनू तिवारी/योगेश तिवारी आदि के नाम से नगर निगम में आईडी क्रमांक 9000255514 पर दर्ज है/नहीं है जिसका क्षेत्रफल 550 वर्गफुट है. उक्त सम्पति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र आर-15042600655334 दिनांक 26/4/2026 से प्राप्त किया गया है. उक्त सम्पति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 के अन्तर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पतिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र गोरखी पानी की टंकी पर दिनांक 25/06/2026 को किया गया है. जिसका आवेदन कार्य क्रमांक 83/2010/18917/41216 है। उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर स्थित सम्पतिकर विभाग कक्ष क्र. 205, 202 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति में सुसंलग्न दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

विज्ञप्ति जारी दिनांक 04-7-2026
मीना गुजर, वरूण गुजर/स्व. बसंत राव गुजर
पता: गुड़ी-गुड़ा, ग्वालियर म.प्र.
मोब - 9893955681

नाम परिवर्तन सूचना

मुझ प्राथीनी का सही नाम लला वती (**LALAA BATEE**) है जो कि मेरे पति के पीपीओ, सर्विस बुक और आदि दस्तावेजो में दर्ज है। आधार कार्ड में मेरा घरू नाम **लल्लावेटी** है। लल्लावेटी और लला वती दोनो ही नाम मुझ एक ही महिला के है। अतः इस सूचना प्रकाशन उपरांत मेरे आधार कार्ड एवं समस्त शासकीय / अशासकीय दस्तावेजों और आदि में मेरा नाम लल्लावेटी (**LALLABETI**) के स्थान पर लला वती (**LALAA BATEE**) दर्ज किया जावे व भविष्य में मुझे लला वती (**LALAA BATEE**) के नाम से जाना पहचाना व पढ़ा लिखा जावे।

पुराना नाम
लल्लावेटी (LALLABETI)
नया नाम
लला वती (LALAA BATEE) पति श्री हरनाम (HARNAM), निवासी ग्राम कछार पोस्ट खेरिया सिंध तहसील मेहगाव जिला भिण्ड म.प्र. 477227

CHANGE OF NAME

I SHIV LAL PRAJAPATI father of Army No. 15196981L, Rank NK (TA) Name- MUKESH KUMAR PRAJAPATI, Presently residing at Vill- KAIMAHARA KHURD, Post-BELWA BAHADURPUR, Dist-SITAPUR, State UTTAR PRADESH, Pin-261145 do hereby solemnly affirm and state on oath as follows: That, I have changed my name from SHIV LAL PRAJAPATI to SHIVLAL due to wrongly entered in my son's service documents. That my date of birth is 01 January 1973 (One January Nineteen seventy Three). That, I am producing this affidavit for the purpose of evidence for my name. That, both name SHIV LAL PRAJAPATI and SHIVLAL pertains to one and the same person. That, I shall at all times hereafter in all records, deeds and writing and in all proceeding dealing with transactions, private as well as under all occasions what so ever be known as only SHIVLAL. That what is, stated above is true and correct to best of my knowledge information and belief nothing in material has been concealed there from.

उपनाम परिवर्तन सूचना

सूचित किया जाता है कि मैं श्याम शुक्ला पुत्र श्री ओमप्रकाश शुक्ला यह कि मेरे सभी शैक्षणिक दस्तावेजों में नाम **श्याम शर्मा** SHYAM SHARMA है। किन्तु अब मैंने अपना नाम **श्याम शर्मा** SHYAM SHARMA के स्थान पर **श्याम शुक्ला** SHYAM SHUKLA रख लिया है। अतः अब मुझे भविष्य में **श्याम शुक्ला** SHYAM SHUKLA के नाम से ही जाना एवं पहचाना जाये। वह शासकीय अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में नया नाम **श्याम शुक्ला** SHYAM SHUKLA मान्य किया जावे।

पुराना नाम : (श्याम शर्मा SHYAM SHARMA)
नया नाम : (श्याम शुक्ला SHYAM SHUKLA)
पुत्र श्री ओमप्रकाश शुक्ला
निवासी- डी-15, मधुवन एन्कलेव, अल्कापुरी, ग्वालियर (म.प्र.)

मुख्यमंत्री की यात्रा और बारिश को लेकर निगम आयुक्त सख्त

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 04 जुलाई । मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की प्रस्तावित ग्वालियर यात्रा एवं मानसून के मद्देनजर नगर निगम आयुक्त संघ प्रिय ने बाल भवन स्थित टीएलसी में निगम अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

बैठक में अपर आयुक्त टी. प्रतीक राव, प्रदीप सिंह तोमर, मुनीश सिंह सिकरवार सहित जनकार्य, पीएचई एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

निगम आयुक्त श्री संघ प्रिय ने निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री के प्रस्तावित आवागमन मार्ग पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय रहते पूर्ण कर ली जाएं। उन्होंने कहा कि बारिश के दौरान शहर में कहीं भी जलभराव की स्थिति नहीं बननी चाहिए। इसके लिए सभी संबंधित अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों की लगातार मॉनिटरिंग करें और किसी भी समस्या का तत्काल समाधान सुनिश्चित करें।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन सड़कों का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण किया जाए।

अवैध होर्डिंग्स हटाए

ग्वालियर। नगर निगम ग्वालियर ने शनिवार को व्यापक कार्रवाई करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में अवैध एवं अनाधिकृत होर्डिंग्स हटाने का अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान कई प्रमुख मार्गों और व्यावसायिक क्षेत्रों से नियमों के विरुद्ध लगे होर्डिंग्स हटाए गए ।

नगर निगम का हरियाली अभियान तेज

ग्वालियर। शहर को हराभरा एवं पर्यावरण अनुकूल बनाने के उद्देश्य से नगर निगम ग्वालियर के पार्क विभाग द्वारा डिवाइडरों और पार्कों में लगातार पौधरोपण अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में शनिवार को शहर के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर पौधरोपण किया गया। पार्क अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि नगर निगम आयुक्त श्री संघ प्रिय के निर्देशानुसार शहर के डिवाइडरों एवं पार्कों को हरा-भरा बनाने के लिए पार्क विभाग द्वारा निरंतर पौधरोपण किया जा रहा है। अभियान के तहत शनिवार को सिरोल थाने के सामने स्थित डिवाइडर, संस्कृति पार्क एवं गायत्री विहार पार्क में लगभग 200 पौधों का रोपण किया गया। इसके अलावा यूनिपेंच फैक्ट्री से शताब्दी पुरम स्थित सिंधिया स्टैच्यू तक के डिवाइडर पर 1,300 पौधे, लोको हजीरा डिवाइडर पर 165 पौधे, 1000 बिस्तर अस्पताल के सामने स्थित डिवाइडर तथा खेल परिसर के समीप लगभग 200 पौधे लगाए गए। पार्क अधीक्षक ने बताया कि पौधरोपण के साथ-साथ पौधों के संरक्षण की भी समुचित व्यवस्था की गई है। सभी पौधों की नियमित देखभाल तथा प्रतिदिन सिंचाई सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रबंध किए गए हैं, ताकि लगाए गए पौधे सुरक्षित रहकर शहर की हरियाली बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें।

आम सूचना

आवेदक राजकुमार पुत्र श्री रामसिंह, निवासी-ग्राम सिकरौदी, पोस्ट बडोरी, परगना व जिला ग्वालियर (म.प्र.) के निर्देशानुसार आम व खास को सूचित किया जाता है कि, आवेदक के स्वत्व स्वामित्व एवं आधिपत्य का एक प्लॉट जिसका क्षेत्रफल 800 वर्गफीट है जो वार्ड क्रमांक 61, सर्वे क्रमांक 738/3 ग्राम बड़ागाँव, परगना व जिला ग्वालियर (म.प्र.) में स्थित है तथा जिसकी चतुर्सीमा निम्न प्रकार है: पूर्व में - 20 फीट रोड, पश्चिम में - भूमि दीगर, उत्तर में- प्लॉट बिक्रेता व दक्षिण में- प्लॉट बिक्रेता, है। आवेदक ने उक्त संपत्ति प्लॉट को पूर्व स्वामी जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री गब्बर सिंह से जर्ये रजिस्टर्ड बिक्रयपत्र पंजी. क्रमांक एमपी14259 2020ए1799156 व पंजी. दि. 01/12/2020 के द्वारा क्रय किया है। पूर्व स्वामी श्री जितेन्द्र सिंह के अलावा उक्त सर्वे क्रमांक की भूमि के अन्य सह स्वामी है यद्यपि आवेदकानुसार उनके द्वारा कोई आपत्ति बिक्रय में नहीं की है चूंकि आवेदक का ऋण आवेदन मेरे पक्षकार वित्तीय संस्था पी.एन.बी. हाउसिंग के यहां विचाराधीन है तथा उक्त संपत्ति पर ऋण देना प्रस्तावित है। यदि उक्त सर्वे क्रमांक के सहस्वामीयों को तथा/अथवा भी किसी व्यक्ति, बैंक, संस्था, निकाय आदि को उक्त संपत्ति या उसके किसी भाग को बंधक किये जाने में किसी प्रकार की कोई या कैसी भी आपत्ति किसी माध्यम से हो और वह अपना अधिकार, दावा या आपत्ति करता/रखता हो तो वह मेरे नीचे लिखे नाम व पते पर मय दस्तावेजी प्रमाण के इस नोटिस प्रकाशन से 07 दिवस के अंदर लिखित रुप में प्रस्तुत करें अन्यथा समयोपरांत् ऋण आवेदन स्वीकार योग्य पाये जाने पर उक्त संपत्ति मेरे पक्षकार ऋणप्रदाता द्वारा बंधक कर ली जावेगी। उसके उपरांत् कोई भी आपत्ति कतई स्वीकार योग्य न होकर निरर्थक अर्थहीन, त्याग दी गई समझी जाकर शून्य होगी तथा विशेषतः ऋणप्रदाता पर कतई बंधनकारी नहीं होगी तद्नुसार सूचित हो।
इति दिनांकः 04.07.2026
प्रेषक- गजेन्द्र कुमार भार्गव (एडवोकेट)
कार्या./नि.- हैदरगंज, मामा का बाजार, लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.)
कार्या. समय : 7:00 से 9:00 (सुबह एवं शाम)
मो. 9301122311

आम सूचना

सर्वसाधारण व खास को सूचित किया जाता है कि आवेदक राजकुमार सिंह सेंगर पुत्र श्री संतोष सिंह सेंगर, निवासी- एफ/एल-20, कुशवाह मार्केट के पास, दीन दयाल नगर, गिर्द ग्वालियर (म.प्र.) ने भावी बिक्रेता पंकज सिंह राजपूत पुत्र श्री महावीर राजपूत निवासी गोले का मंदिर, ग्वालियर (म.प्र.) के स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य के एक प्लॉट क्रमांक 159, जिसका क्षेत्रफल 1000 वर्गफिट होकर जो सर्वे क्रमांक 204/1 ग्राम बरेठा, प.ह.न. 101 पुराना, नया 06, शिवशक्ति नगर, परगना एवं जिला ग्वालियर (म.प्र.) में स्थित होकर जिसके पूर्व में 25 फीट रोड, पश्चिम में प्लॉट क्रमांक 148, उत्तर में प्लॉट क्रमांक 158 व दक्षिण में प्लॉट नं. 160 है, से क्रय करने तदोपरांत् निर्माण करने हेतु मेरे पक्षकार वित्तीय संस्था आधार हाउसिंग फायनेंस लिमि. के यहां ऋण हेतु आवेदन किया है जिस पर ऋण दिया जाना प्रस्तावित है। भावी बिक्रेता पंकज राजपूत पुत्र श्री महावीर राजपूत उक्त प्लॉट सहित बड़ा भाग पूर्व स्वामिनी श्रीमती रमा गौर पत्नी रामऔतार गौर से जर्ये रजिस्टर्ड बिक्रयपत्र पंजीयन दस्तावेज क्रमांक एमपी21आईजीआर17412026ए100038911 व पंजीयन दिनांक 12.01.2026 के माध्यम से क्रय की थी उक्त क्रयशुदा संपत्ति में से एक प्लॉट वह आवेदक को बिक्रय करने जा रहा है। पूर्व स्वामिनी रमादेवी गौर के अतिरिक्त संबंधित सर्वे क्रमांक 204/1 के अन्य सहस्वामी रहे है। आवेदक के अनुसार सहस्वामियों कर इसमें मौन एवं पूर्ण सहमति थी। फिर भी चूंकि उक्त संपत्ति पर ऋण देना प्रस्तावित है इसलिये यदि सहस्वामी को तथा/अथवा भी किसी व्यक्ति, बैंक, संस्था, किसी निकाय आदि को उपरोक्त उपरोक्त वर्णित संपत्ति को बिक्रय किये जाने एवं बंधक किये जाने में कोई या कैसी भी आपत्ति हो तो वह अपनी लिखित आपत्ति इस सूचना पत्र के प्रकाशन से 7 दिवस के अंदर मय दस्तावेजी प्रमाण के नीचे उल्लेखित पते पर प्रस्तुत करें अन्यथा समयोपरांत् कोई भी आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं होगी। इतिदिनांक 04.07.2026
प्रेषक- गजेन्द्र कुमार भार्गव (एडवोकेट)
कार्या./नि.- हैदरगंज, मामा का बाजार, लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.)
कार्या. समय : 7:00 से 9:00 (सुबह एवं शाम)
मो. 9301122311

आम-सूचना

श्री गगन सविता पुत्र श्री राजकुमार सविता के स्वत्व, स्वामित्व व आधिपत्य की अचल सम्पत्ति भूखण्ड, स्थित ग्राम इन्दरगढ़, प.ह.नं. 24, रा.नि.मं. इन्दरगढ़, तहसील इन्दरगढ़ एवं जिला दतिया (म.प्र.) है जो भूमि सर्वे क्र.1417/1/1 ग्राम इन्दरगढ़ का भाग है एवं जिसका क्षेत्रफल 800 वर्गफुट है और चर्तुसीमा निम्न प्रकार है:-पूर्व में भूखण्ड फिरोज, पश्चिम में रास्ता 16 फुट चौड़ा, उत्तर में भूखण्ड विक्रेता एवं दक्षिण में रास्ता 20 फुट चौड़ा है। उक्त सम्पत्ति एवं संलग्न अन्य सम्पत्ति पूर्व में श्री अशोक पुत्र श्री भगवान दास एवं अन्य के संयुक्त स्वत्व स्वामित्व की थी। श्री अशोक द्वारा उक्त सम्पत्ति एवं संलग्न अन्य सम्पत्ति श्री अजय पुत्र श्री महेश को ई-रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्र.एमपी09602018 1680922 दिनांक 05.10.2018 से विक्रय की गई थी। श्री अजय द्वारा उक्त सम्पत्ति श्री गगन सविता पुत्र श्री राजकुमार सविता को ई-रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्र.एमपी09602021ए1989454 दिनांक 25.11.2021 से विक्रय की गई थी। श्री गगन सविता द्वारा उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार वित्तीय संस्थान वित्तीय संस्थान टायगर होम फायनेन्स प्राईवेट लिमिटेड दतिया के समक्ष बंधक किया जाकर ऋण प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम अथवा निकाय एवं उक्त सर्वे क्रमांक के अन्य सहस्वामियों को उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार के पक्ष में बन्धक किये जाने अथवा उक्त सम्पत्ति के स्वत्व स्वामित्व, एवं आधिपत्य के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपत्ति होने पर एवं अन्य प्रकार के हित-निहित होने पर दस्तावेज सहित मेरे कार्यालय में अथवा मेरे पक्षकार के कार्यालय में लिखित आपत्ति मय दस्तावेज इस सूचना प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के समाप्त होते ही उपरोक्त वर्णित अचल सम्पत्ति मेरे पक्षकार के पक्ष में बंधक की जाकर ऋण प्रदान करने की कार्यवाही की जावेगी। तत्पश्चात हर प्रकार की आपत्ति प्रभावहीन होकर शून्य होगी। कृपया सूचित हो।

प्रेषक
नीरज जैन, एडवोकेट
कार्या. भवन क्र. 52, कैलाश विहार,
फैडरल बैंक के पास सिटी सेन्टर, ग्वालियर (म.प्र.)
मो.नं. 98276-72710

आम-सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि एक आवासीय भवन सम्पत्ति जिसका क्षेत्रफल 900 वर्गफीट है, जो सर्वे क्रमांक 3088 राजस्व ग्राम भिण्ड के भाग पर निर्मित होकर वार्ड क्रमांक 22, ब्रह्मपुरी कॉलोनी, भिण्ड, तहसील एवं जिला भिण्ड, म.प्र. में स्थित है जिसकी चर्तुसीमा निम्न है:- पूर्व में कटारे एवं प्रजापति का भवन, पश्चिम में आम रास्ता, उत्तर में जनवेद प्रसाद का भवन, दक्षिण में हरदीप शर्मा का भवन स्थित है, उक्त संपत्ति को आवेदिका श्रीमती सरोज पत्नि श्री लाल सिंह गोस्वामी निवासी वार्ड कमांक 08, गली नं. 01, सुभाष नगर, महाकवि निराला, भिण्ड, जिला भिण्ड, म.प्र. ने सम्पति स्वामी श्री शिवकुमार शर्मा पुत्र श्री रणवीर शर्मा निवासी वार्ड कमांक 22, चर्तुवेदी नगर, भिण्ड, जिला भिण्ड, म.प्र. से जरिये पंजीकृत विकय-पत्र ई-पंजीयन कमांक MP04290202 4A11374870 से दिनांक 05/12/2024 को कय कर मेरे पक्षकार आई सी आई सी आई एचएफसी, सिटी सेन्टर ग्वालियर (म.प्र.) के यहां ऋण के विरूद्ध बंधक करने हेतु सहमत होकर आवेदन किया है। यह कि, आवेदिका के अनुसार सम्पत्ति का पूर्व मूल विकय पत्र ग्रंथ कमांक 1505, दस्तावेज कमांक 144 दिनांक 22/04/1981 आवेदिका से कहीं गुम हो गया है जिसका आवेदिका के द्वारा अथवा उसके संज्ञान में किसी अन्य के द्वारा किसी भी प्रकार से दुरूपयोग नहीं किया गया है। यह कि, यदि किसी सहस्वामी, व्यक्ति/व्यक्तियों को उक्त संपत्ति या उसके किसी भाग के संबंध में किसी प्रकार की कोई या कैसी भी आपत्ति किसी भी माध्यम अर्थात विक्रय, विनमय, बंधक (साम्यिक / रजिस्टर्ड बंधक या अन्यथा बंधक) न्यास, उत्तराधिकार, पारिवारिक व्यवस्थापन, भरणपोषण, विल द्वारा हस्तांतरण, भागीदारी, आधिपत्य, पट्टा, उप पट्टा, किरायेदारी, लायसेंस, भार, गिरवी, सुखाधिकारी या अन्य किसी प्रकार का अधिकार होने का दावा या आपत्ति करता हो तो वह मेरे नीचे लिखे नाम व पते पर मय दस्तावेजी प्रमाण के लिखित रूप में नोटिस प्रकाशन से 07 दिवस के अंदर प्रस्तुत करें अन्यथा समयोपरांत् उक्त संपत्ति मेरे पक्षकार के यहां बंधक कर ली जावेगी। उसके उपरांत् कोई भी आपत्ति कतई स्वीकार योग्य न होकर निर्थक अर्थहीन, त्याग दी गई समझी जाकर शून्य होगी तथा मेरे पक्षकार पर कतई बंधनकारी नहीं होगी तनुसार सूचित हो।
दिनांकः 04/07/2026

पुष्पेन्द्र कुमार अग्रवाल (एडवोकेट)
कार्यालय 44, कैलाश विहार, सिटी सेंटर, जिला ग्वालियर (म.प्र.),
मोबाइल:-9826833031 कार्या. समयः प्रातः 11.00 से सांय 05.00 तक

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जिला ग्वालियर (म.प्र.)

ओहदपुर, सिरोल रोड, ग्वालियर पिन- 474006

क्रमांक ए.डी.एम./वि.अधि./आशावित विवाह: (78) 2026 ग्वालियर दिनांक 29 जून 2026

// विज्ञप्ति //

आवेदकगण राजेश प्रसाद पुत्र श्री शिवनाथ प्रसाद उम्र 49 वर्ष निवासी कांचमिल बड़ा गेट शीतला माता मंदिर के पास ग्वालियर म.प्र. एवं गीता शर्मा पुत्री श्री आदित्य नारायण अग्निहोत्री उम्र 48 वर्ष निवासी वार्ड नं. 14 किले के सामने खनियाधाना शिवपुरी म.प्र. द्वारा दिनांक 29.06.2026 को साक्षीगणों की उपस्थिति में विशेष विवाह अधिनियम 1954 आवेदन पत्र अधिनियम की धारा 11 के तहत घोषणा करते हुये आशयित विवाह हेतु धारा 5 के अंतर्गत सूचना देकर तीन कलेन्डर मास के भीतर, अधिनियम के अधीन अनुष्ठापित होना आशयित दर्शाया गया है। अधिनियम के अंतर्गत आवेदन में वर एवं वधू द्वारा यह घोषणा की गई है कि आवेदक आवेदित दिनांक को अविवाहित हैं तथा आवेदिका आवेदित दिनांक को विधवा हैं। वर द्वारा 21 वर्ष तथा वधू द्वारा 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली गई है। उनकी आपस में कोई प्रतिषिद्ध नातेदारी नहीं है। यह भी घोषणा की गई है कि दोनों पक्षकारों में से कोई भी पक्षकार चित्त-विकृति के परिणामस्वरूप विधिमान्य सम्मति देने में असमर्थ नहीं है।

2/ यदि किसी भी व्यक्ति को इस विवाह के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई शिकायत और आपत्ति हो तो वह इस विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से तीस दिवस के अंदर अपनी आपत्ति या शिकायत अपर जिला मजिस्ट्रेट एवं विवाह अधिकारी, ग्वालियर, 474006 मध्यप्रदेश, के कार्यालय के कक्ष क्रमांक 203 में दर्ज करा सकते हैं। नियत तिथि व्यतीत होने के पश्चात प्राप्त किसी भी प्रकार की शिकायत/आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं होगी। मेरे हस्ताक्षर तथा पदमुद्रा से जारी किया गया।

अपर जिला मजिस्ट्रेट एवं विवाह अधिकारी जिला ग्वालियर म.प्र.

आम-सूचना

श्री प्रांजल गुप्ता पुत्र श्री रेवती रमन गुप्ता के स्वत्व, स्वामित्व व आधिपत्य की अचल सम्पति प्लैट क्र.202, द्वितीय तल, 'आदित्य प्लाजा' भूखण्ड क्र.306 पर निर्मित, स्थित जीवाजी नगर, ठाठीपुर, तहसील एवं जिला ग्वालियर (म.प्र.) है जो नगर निगम ग्वालियर वार्ड क्र. 24 में स्थित होकर भवन क्र.63 है एवं सम्पति क्र.29120 है एवं जिसका क्षेत्रफल 825 वर्गफुट है और चर्तुसीमा निम्न प्रकार है:-पूर्व में भवन क्र.347, पश्चिम में-शामलाती सीढ़ीयां बाद प्लैट क्र.201, उत्तर